

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण
1	जाली नोटों को जब्त करने का प्राधिकार
2	जाली नोटों पर मुहर लगाना
3	निविदाकर्ता को रसीद जारी करना
4	शाखा द्वारा प्राप्त नकद निविदाओं में पकड़े गए जाली नोट
5	जाने नोट पाए जाने पर दिशानिर्देश
6	बैंक नोटों की जांच
7	प्रधान कार्यालय में जाली नोट सतर्कता कक्ष की स्थापना
8	अल्ट्रा-वायलेट लैंप और अन्य बुनियादी ढांचे का प्रावधान
9	डेटा संकलन और रिटर्न जमा करना
10	अनुलग्नक I
11	अनुलग्नक II
12	अनुलग्नक III
13	अनुलग्नक IV
14	अनुलग्नक V

**भारतीय रिजर्व बैंक
मुद्रा प्रबंध विभाग
मास्टर परिपत्र - 2007
जाली बैंकनोटों की पहचान और जब्त करना**

1. जाली नोटों को जब्त करने का प्राधिकार

जाली नोटों को किसके द्वारा जब्त किया जा सकता है -

- (i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाएं
- (ii) निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की सभी शाखाएं
- (iii) सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सभी शाखाएं
- (iv) सभी कोषागार और उप-कोषागार
- (v) आरबीआई के सभी निर्गम कार्यालय

2. जाली नोट पर मोहर लगाना

प्रत्येक बैंकनोट, जिसके जाली होने का संदेह हो या जाली पाया गया हो, पर 'जाली बैंक नोट' की मुहर लगाकर जब्त कर लिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित लेख के साथ 5 सेमी x 5 सेमी के आकार की एक स्टाम्प का उपयोग किया जा सकता है।

जाली नोट जब्त किया / COUNTERFEIT
BANKNOTE IMPOUNDED
बैंक/ BANK
शाखा / BRANCH
स्ताक्षर / SIGNATURE
दिनांक / DATE

3. निविदाकर्ता को रसीद जारी करना:

जब भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालय या किसी बैंक शाखा या कोषागार के काउंटर पर दिया गया कोई बैंकनोट जाली पाया जाता है, तो अनुबंध 1 के अनुसार प्रारूप में एक पावती रसीद, उक्त पैरा 2 के अनुसार नोट पर मुहर लगाने के बाद, निविदाकर्ता को जारी की जानी चाहिए। रसीद, क्रम संख्या में, दो प्रतियों में होनी चाहिए और कैशियर के साथ-साथ निविदाकर्ता द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। इस आशय की सूचना आम जनता की जानकारी के लिए कार्यालयों/शाखाओं में प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए। पावती रसीद उन मामलों में भी जारी की जा सकती है जहां निविदाकर्ता रसीद पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है।

4. शाखा द्वारा प्राप्त नकद निविदाओं में पकड़े गए जाली नोट

शाखा द्वारा प्राप्त नकदी में पाए गए जाली नोटों को प्राथमिकी (अनुबंध II) दर्ज करके जांच के लिए स्थानीय पुलिस को भेजा जाएगा। प्राथमिकी की एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय (केवल बैंकों के मामले में) में जाली (जाली) बैंकनोट सतर्कता प्रभाग को भेजी जाएगी और कोषागार के मामले में इसे आरबीआई के संबंधित निर्गम कार्यालय को भेजी जानी चाहिए। विवरण जैसे कि नाम, निविदाकर्ता का पता और उसका बयान कि उक्त बैंक नोट उसके कब्जे में कैसे आया, उसे भी पुलिस अधिकारियों को अग्रेषित

किया जाएगा। जाली बैंकनोटों की पहचान के सभी मामलों के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करना आवश्यक है, जिसमें उन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत नकदी में एक या दो नोटों का पता लगाना शामिल है, जिनकी सदाशयता संदिग्ध नहीं है। यदि जाली नोट पुलिस को बीमित डाक द्वारा भेजे जाते हैं तो पुलिस द्वारा उसकी प्राप्ति की पावती अनिवार्य रूप से प्राप्त की जानी चाहिए और रिकॉर्ड में रखी जानी चाहिए। पुलिस द्वारा प्राथमिकी स्वीकार करने में अनिच्छा के कारण कार्यालयों/शाखाओं को किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो मामले को संबंधित राज्य के नोडल अधिकारी के परामर्श से निपटाया जा सकता है। जाली बैंकनोट मामलों की जांच से संबंधित मामलों के समन्वय के लिए नामित राज्य पुलिस बलों के नोडल अधिकारियों की एक सूची अनुबंध V के रूप में संलग्न है। किसी भी मामले में, जाली नोटों को निविदाकर्ताओं को वापस नहीं किया जाना चाहिए या बैंक शाखाओं/कोषागारों द्वारा नष्ट कर नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस/सरकारी एजेंसियों आदि से राय के लिए प्राप्त संदिग्ध विदेशी मुद्रा नोट के मामले में, प्रेषक को पूर्व परामर्श के बाद सीबीआई, नई दिल्ली के इंटरपोल विंग को अग्रेषित करने हेतु सूचित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता में 'जालसाजी' की परिभाषा में विदेशी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी मुद्रा नोट भी शामिल हैं। बैंक शाखाओं और कोषागारों में जाली भारतीय बैंकनोटों की पहचान के आंकड़ों को आरबीआई के निर्गम कार्यालयों को अग्रेषित मासिक रिटर्न में शामिल किया जाना चाहिए जैसा कि नीचे पैरा 9 में दर्शाया गया है।

5. जाली नोटों की पहचान के संबंध में दिशानिर्देश

जाली बैंकनोटों की पहचान पर शाखा कर्मचारियों को शिक्षित करने की दृष्टि से, अनुबंध IV में दर्शाए गए सभी बैंकनोटों की डिज़ाइन और सुरक्षा विशेषताओं को सभी बैंकों / कोषागारों को इस निर्देश के साथ आपूर्ति की गई है कि जनता की जानकारी के लिए उन्हें शाखाओं में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। नियंत्रक कार्यालय/प्रशिक्षण केंद्र भी बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित/आयोजित कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो वे आरबीआई के निकटतम निर्गम कार्यालय के अधिकारियों की सहायता ले सकते हैं।

6. बैंक नोटों की जांच

जाली नोटों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि शाखाओं में प्राप्त सभी नोटों की सावधानीपूर्वक जांच की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनता को जारी की गई नकदी या अन्य बैंक शाखाओं/आरबीआई कार्यालयों को भेजे गए विप्रेषणों में किसी भी स्थिति में, अनजाने में भी, जाली नोटों को नहीं मिलाया जाए। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने एटीएम में केवल अच्छी गुणवत्ता वाले असली नोट ही रखें। एटीएम के माध्यम से जाली नोटों के संवितरण को संबंधित बैंक द्वारा जाली नोटों को परिचालित करने के प्रयास के रूप में माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, बैंक शाखाओं/मुद्रा तिजोरियों/कोषागारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी ओर से जाली नोटों का पता लगाएँ और उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों को भेजे जाने वाले प्रेषणों में शामिल न करें। भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रा तिजोरी से प्राप्त विप्रेषणों में पाए गए जाली नोटों के मूल्य के लिए उनमें से गंदे नोटों को अंतिम रूप से हटाने की तारीख से जुर्माना लगाने के विकल्प पर विचार कर सकता है।

7. बैंक के प्रधान कार्यालय में जाली नोट सतर्कता कक्ष की स्थापना

प्रत्येक बैंक निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए अपने प्रधान कार्यालय में एक जाली (नकली) बैंक नोट सतर्कता कक्ष स्थापित करेगा:

- (1) शाखाओं में नकली बैंकनोटों पर आरबीआई के निर्देशों का प्रसार करना।
- (2) इन निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- (3) उनकी शाखाओं में पाए गए नकली बैंक नोटों पर मासिक आधार पर केंद्रीकृत डेटा संकलित करना और संलग्न प्रारूप (अनुबंध III) में भारतीय रिजर्व बैंक और एनसीआरबी को इसकी रिपोर्ट करना।
- (4) इस प्रकार संकलित सूचना को बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी के साथ साझा करना और उन्हें काउंटरो पर जाली नोटों की स्वीकृति/जारी के सभी मामलों की सूचना देना।
- (5) नामित नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित करना।
- (6) जहां मुद्रा तिजोरी में कमी/दोषपूर्ण/जाली नोट आदि का पता चलता है, वहां समय-समय पर औचक निरीक्षण करना।
- (7) सभी मुद्रा तिजोरियों में उपयुक्त क्षमता की नोट छँटाई मशीनों की स्थापना सुनिश्चित करना और मुद्रा तिजोरी शाखाओं में नकली नोटों की पहचान पर कड़ी निगरानी रखना।
- (8) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल उचित रूप से छांटे गए और जांचे गए बैंकनोट ही एटीएम में डाले जाएं और नोटों के प्रसंस्करण और पारगमन दोनों के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएं।
- (9) इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में मुख्य महाप्रबंधक, मुद्रा प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 400001 को तिमाही आधार पर अगले महीने के एक पखवाड़े के भीतर सूचित किया जाना चाहिए।

8. अल्ट्रा-वायलेट लैंप और अन्य बुनियादी ढांचे का प्रावधान

जाली बैंक नोटों की पहचान को सुगम बनाने की दृष्टि से, सभी बैंक शाखाओं/कोषागारों को अल्ट्रा-वायलेट लैम्पों से सुसज्जित किया जाना चाहिए। सभी मुद्रा तिजोरी शाखाओं को सत्यापन, प्रसंस्करण और छँटाई मशीनों से सुसज्जित किया जाना चाहिए जो पहले ही बैंकों को बता दी गई हैं। बैंक अन्य शाखाओं को थोक प्राप्तियों से गंदे और संदिग्ध नकली नोटों को अलग करने के लिए सत्यापन, प्रसंस्करण और छँटाई मशीनों के साथ-साथ काउंटर पर सार्वजनिक उपयोग के लिए कम से कम एक गिनती मशीन (दोहरी प्रदर्शन सुविधा के साथ) प्रदान करने पर भी विचार कर सकते हैं।

बैंकों को नकली नोटों की पहचान के लिए प्राप्ति स्थल पर ही स्टाफ के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।

9. डेटा संकलन और रिटर्न जमा करना

अनुबंध III के अनुसार एक विवरण - (पहले के प्रारूप से संशोधित, उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम शामिल करते हुए जहां शाखा संचालित होती है) महीने के दौरान बैंक शाखाओं में पाए गए जाली नोटों का विवरण दिखाते हुए संकलित किया जाएगा और निम्नलिखित कार्यालयों को इस प्रकार अग्रेषित किया जाए ताकि अगले महीने की 7 तारीख तक वह उन्हें प्राप्त हो सके:

- (i) आरबीआई का संबंधित निर्गम कार्यालय
- (ii) सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, ईस्ट ब्लॉक-7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110 066

अनुलग्नक I

जाली बैंकनोटों के निविदाकर्ता को जारी की जाने वाली पावती रसीद

(बैंक का नाम)
बैंक शाखा का पता
क्रम संख्या:-
तारीख:

नीचे वर्णित नोट (निविदाकर्ता का नाम और पता) से प्राप्त हुआ है जो जाली है/हैं और इसलिए जब्त कर लिया गया है और तदनुसार मुहर लगा दी गई है।

नोट की क्र.सं.

मूल्यवर्ग

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)

(काउंटर कैशियर के हस्ताक्षर)

बैंक शाखा का नाम और पता

संदर्भ। सं. दिनांक:

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक,
_____पुलिस स्टेशन SDR,

प्रिय महोदय,

जाली बैंकनोट/नोटों की पहचान - जांच के लिए अनुरोध

हमारे कार्यालय में _____ को पाए गए निम्नलिखित जाली नोट संलग्न हैं। निविदाकर्ता का नाम और पता उसके बयान के साथ प्रस्तुत किया गया है।

2. चूंकि निविदाकर्ता की सदाशयता संदेहास्पद है, उसे भी आपको सौंपा जा रहा है। चूंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 489A से 489E के तहत जाली भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई और/या संचलन एक अपराध है, हम आपसे आवश्यक जांच करने और दोषियों को सजा दिलाने का अनुरोध करते हैं। यदि अदालत में आपराधिक कार्यवाही दर्ज करने का निर्णय लिया जाता है, तो आप पहले नोटों को जांच के लिए महाप्रबंधक, बैंक नोट प्रेस, देवास (मध्य प्रदेश) या महाप्रबंधक, करेंसी नोट प्रेस, नासिक (महाराष्ट्र) को भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 292 के तहत सबूत के तौर पर देवास/नासिक प्रेस द्वारा दी गई विशेषज्ञ राय को अदालत में पेश किया जा सकता है। जांच पूरी होने और/या अदालत में कार्यवाही पूरी होने के पश्चात जाली नोटों को अदालत के अन्वेषण/ फैसले की विस्तृत रिपोर्ट के साथ हमें वापस किया जा सकता है।

जाली बैंक नोटों का विवरण

		श्रंखला	पीसेस की संख्या	मूल्य
क	मूल्यवर्ग			
ख	निविदाकर्ता का नाम और पता			
ग	हमारी प्रविष्टि संख्या			

भवदीय,

प्रबन्धक/सहायक महाप्रबन्धक

अनुलग्नक III

बैंक शाखा का नाम और पता

_____ माह के दौरान शाखा में पकड़े गए नकली नोटों का ब्यौरा दर्शाने वाली विवरणी

1. मूल्यवर्गवार विवरण

मूल्यवर्ग						कुल पीसेस	कुल मूल्य	राज्य/यूटी का नाम जहां शाखा स्थित है
रु.10	रु.20	रु.50	रु.100	रु.500	रु.1000			

ख) पुलिस के पास दायर मामलों का विवरण

i) माह की शुरुआत में पुलिस के पास लंबित मामलों की संख्या _____

ii) माह के दौरान पुलिस को भेजे गए मामलों की संख्या _____

iii) माह के दौरान पुलिस द्वारा लौटाए गए मामलों की संख्या _____

iv) माह के अंत में पुलिस के पास लंबित मामलों की संख्या _____

निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, निर्गम विभाग, _____

2. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, ईस्ट ब्लॉक-VII,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110 066।

(हस्ताक्षर)

प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम

एफआईसीएन की निगरानी के लिए राज्यवार नोडल अधिकारियों की सूची

आरबीआई कार्यालय	कवर किए जाने वाले राज्य/यूटी	नोडल अधिकारियों का नाम व पता	टेलीफोन/फैक्स नंबर
अहमदाबाद	गुजरात	एडीजीपी (सीआईडी), अपराध और रेलवे, चौथी मंजिल, पुलिस भवन, सेक्टर 18, चंदीनगर	
	दमण और दीव	ए.आई.जी.(पी), संयुक्त सचिव (गृह), दमन (नोडल एजेंसी: पुलिस प्रमुख, दमन/दीव/डीएनएच)	
बैंगलोर	कर्नाटक	श्री के.एस. सुरेश बाबू, आईजीपी (ईओडब्ल्यू), सीआईडी मुख्यालय, कार्लटन हाउस, पैलेस रोड, बैंगलोर-560 001	080-2254871 080-2942241
बेलापुर/मुंबई	महाराष्ट्र	श्री के.पी.रघुवंशी, आईजी / जेटीसीपी, पुराना यातायात संस्थान, भायखला, मुंबई - 400 008, महाराष्ट्र	022-23087336
	गोवा	सीनियर एस.पी., सीआईडी (सीबी), पणजी डीएसपी, ईओसी, पणजी	
भोपाल	मध्यप्रदेश	डीआईजीपी (मुख्यालय), जाली मुद्रा नोट प्रकोष्ठ, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल-462008	0755-2443569(O)
भुवनेश्वर	उड़ीसा	श्री ए.पी. पटनायक, एडीजीपी, सीआईडी, कटक श्री आर.एन.पाढ़ी, डीआईजी, सीआईडी, कटक, राज्य अपराध शाखा, कटक	
चंडीगढ़	हिमाचल प्रदेश	एडीजीपी कार्यालय, सीआईडी, शिमला	Nil
	हरियाणा	श्री के.सेत्वराज, डीआईजी (अपराध), सीआईडी	0172-565595(O) 0172-46548(R) 0172-566686(F)
	पंजाब	श्री मान सिंह, एआईजीपी, अपराध, चंडीगढ़	

चेन्नई	तमिलनाडु	श्री संदीप राय राठौर, एसपी, अपराध शाखा (सीआईडी), एडमिरल्टी हाउस, सरकारी एस्टेट, चेन्नई-2	044-25395449(O) 044-25394791(R)
	पांडिचेरी	श्री फिरोज जिया हुसैन, निदेशक, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो नंबर 1, डुमास स्ट्रीट	0413-2338604
गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश	डीआईजीपी (मुख्यालय), अरुणाचल प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, ईटानगर	0360-2212735(O) 0360-2212735(F)
	असम	श्री आर. एन. माथुर, एडीजीपी /सीआईडी, उलुबारी, गुवाहाटी-7	0361-2529157(O) 0361-2540709(R)
		श्री एस.पी.कर, महानिरीक्षक, सीआईडी, उलुबारी, गुवाहाटी	0361-2540294(O) 0361-2332712(R)
	मणिपुर	श्री एल.के.हाओकिप, एसपी, सीआईडी (सीबी), इफाल	0385-2221501(O) 0385-2442290(R)
	मेघालय	श्री आर. पी. अग्रवाल, डीआईजी /एसीबी/सीआईडी, (सतर्कता) शिलांग	0364-2223737 0364-2226014 0364-2220839
	मिजोरम	श्री सत्येंद्र गर्ग, एसपी, सीआईडी (अपराध), आइजोल	Nil
	नागालैंड	आईजीपी कार्यालय, अपराध, कोहिमा-797 001	Nil
	त्रिपुरा	डीआईजी, सीआईडी	
हैदराबाद	आन्ध्रप्रदेश	श्री उमेश शराफ, आईपीएस, डीआईजी, सीआईडी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	
जम्मू	जम्मू और कश्मीर	आईजीपी, अपराध और रेलवे, अपराध मुख्यालय, जम्मू/श्रीनगर	0191-2572721(O) 0191-2547988 0194-2452821(O) श्रीनगर
जयपुर	राजस्थान	श्री एमएल शर्मा, आईजी सीआईडी, क्राइम ब्रांच, जयपुर	0141-603266(O) 0141-603714(R)
कानपुर तथा लखनऊ	उत्तर प्रदेश	श्री वी. के. जैन, पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध शाखा (विशेष प्रकोष्ठ), लखनऊ	0522-2287256 0522-2288414
	उत्तरांचल	श्री आलोक बी. लाल, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, देहरादून	0135-2712563(O) 0135-2725355(R)
	पश्चिम बंगाल	श्री एन मुखर्जी, आईपीए, आईजीपी (द्वितीय), सीआईडी, पश्चिम बंगाल, भवानी भवन, अलीपुर, कोलकाता-700 027	033-24792955(O) 033-25432958(R)

		(नोडल एजेंसी: आपराधिक जांच विभाग, पश्चिम बंगाल, भवानी भवन, अलीपुर, कोलकाता-700 027	
कोलकाता	अंडमान और निकोबार	श्री डी.पी.सिंह, उप पुलिस निरीक्षक, सीआईडी यूनिट, पोर्ट ब्लेयर	03192-233307(O) 03192-229547 03192-233307(Fax)
	सिक्किम	पुलिस महानिरीक्षक, अपराध शाखा, सीआईडी, पुलिस मुख्यालय, गंगटोक, सिक्किम	03592-223098
नागपुर	छत्तीसगढ़	जाली मुद्रा प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय, गंगटोक, सिक्किम	0771-2331228
नई दिल्ली	दिल्ली	एसीपी/सीआरओ, दिल्ली	
पटना	बिहार	श्री मनोज नाथ, आई.डी., सीआईडी	Nil
	झारखंड	श्री उमेश कुमार सिंह, एसपी, (ईओडब्ल्यू, सीआईडी, राजा रानी कोठी, रांची सीआईडी, रांची, नोडल एजेंसी	2490295(O) 2246918(R)
तिरुवनंतपुरम	केरल	श्रीमती बी संध्या, डीआईजी (अपराध) तिरुवनंतपुरम	0471-2335246(R) 0471-2722223(O)
	लक्षद्वीप	पुलिस अधीक्षक, लक्षद्वीप के यूटी, पोस्ट ऑफिस कवारत्ती-682 555	04896-262750(O) 04896-262239(R)
बी.एस.एफ.		श्री आर.एस.तिवारी, आई.जी.(जी), बीएसएफ, नई दिल्ली	011-24360016 011-24362181

बैंक/कार्यालय राज्य पुलिस प्राधिकारियों से सीधे संपर्क करके समय-समय पर नोडल अधिकारियों के नाम और पते अद्यतन कर सकते हैं।